प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

विषय : राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-200 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 प्रवीण किशोर, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 से 16 अक्टूबर, 2017 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, फर्नबोरो, इंग्लैंड में सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 200/ना0उ0नि0/आप्स-50/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-200 पर फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, फर्नबोरो, इंग्लैंड में सिमुलेटर पर कै0 प्रवीण किशोर को रिकरेन्ट ट्रेनिंग पूर्ण कराये जाने हेतु शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। अतः राज्यपाल महोदय विदेश यात्रा व्यय एवं वायुयान किराया आदि पर होने वाले व्यय रूपये 2,54,750/- (रूपये दो लाख चौवन हजार सात सौ पचास मात्र) तथा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रूपये 90/- प्रति पाउण्ड की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) जो भारतीय मुद्रा में रूपये 4,74,300/- (रूपये चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ मात्र) अर्थात् कुल रूपये 7,29,050/- (रूपये सात लाख उनतीस हजार पचास मात्र) होता है, के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि में से 5270 पाउण्ड जो भारतीय मुद्रा में रूपये 90/- प्रति पाउण्ड के विनिमय दर से रूपये 4,74,300/- (रूपये चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ मात्र) होता है को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, फर्नबोरो, इंग्लैंड को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम रूपये 4,74,300/- (रूपये चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, फर्नबोरो, इंग्लैंड को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जायेगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्श 2017-18 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:एफ0ए0-1-315/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

**पृ0 संख्या-69/2017/1205(3)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।**

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।